

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर
विज्ञप्ति

माननीय उOप्रO राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संO- 3035/एसएलएसए.- 21/(ए)/97 दिनांकित 23.09.2025 के अनुपालन में बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर हेतु अधिवक्ताओं का एक पैनल गठित होना है, जिसके लिए 20 पैनल लार्यस का चयन किया जाना है।

उक्त पैनल हेतु वे ही अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं जिनका अनुभव कम से कम तीन वर्ष का हो। आवेदन पत्र पर आवेदक का नाम, अद्यतन फोटो, रजिस्ट्रेशन नम्बर, वृत्तिक अनुभव का प्रमाण पत्र, सिविल, दाण्डिक, वैवाहिक आदि के विवरण सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 13.11.2025 सायं 05.00 बजे तक है, तथा साक्षात्कार दिनांक- 18.11.2025 को लिया जायेगा।

आवश्यक निर्देश-

समस्त आवेदक माननीय उO प्रO राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा निर्देश तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 का अनुपालन करेंगे।

उम्मीदवार उक्त आवेदन-पत्र के प्रारूप(फार्म) के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं अथवा जिला न्यायालय, गाजीपुर की वेबसाइट- Website-<https://ghazipur.dcourts.gov.in> पर Recruitment ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

दिनांक- 29.10.2025

29.10.25
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
सचिव पूर्णदालिक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजीपुर।

प्रतिलिपि-

- 1-जिला सूचना अधिकारी, जनपद गाजीपुर, उक्त विज्ञप्ति को समस्त समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 2-सिस्टम ऑफिसर, गाजीपुर, जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 3-केन्द्रीय नाजिर गाजीपुर, सिविल बार एसोसिएसन गाजीपुर, सेंट्रल बार जनपद न्यायालय गाजीपुर, बाह्य न्यायालय सैदपुर, मोहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियाँ, ग्राम न्यायालय जमानियाँ गाजीपुर, अन्य कार्यालय के नोटिस बोर्डों पर चस्पा करायें।